उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-7/2016/1137/24-पी-2-16-3(4अधि0)/09टीसी

लखनऊः दिनांकः 25 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-79/97 तथा अवमानना याचिका संख्या-183/2006 सुरेश चन्द्र शर्मा बनाम अध्यक्ष, यू0पी0एस0ई0बी0 व अन्य मे पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2007 के अनुपालन में ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 तथा वितरण कम्पनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर विचार करने के लिए गठित द्वि-सदस्यीय समिति में श्री दीपक सिंघल, मुख्य सचिव, उ0प्र0 को समिति के अध्यक्ष के रूप मे नामित किया जाता है।

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-7/2016/1137(1)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
6- निदेशक (कार्मिक), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।